इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 61] भोपाल, बुधवार, दिनांक 2 फरवरी 2022—माघ 13, शक 1943

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2022

क्र. एफ-3-26-2021-तेरह-04.—विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 82 की उपधारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री गोपाल श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त, प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का सदस्य (विधि) नियुक्त करता है.

2. उपरोक्त नियुक्ति विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 82, 84, 85, 89 एवं 90 में उल्लेखित निबंधनों के अधीन होगी. आयोग के सदस्य को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवाशर्तें) नियम, 2000 (यथासंशोधित) के अंतर्गत वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी. उक्त नियुक्ति श्री गोपाल श्रीवास्तव द्वारा सदस्य (विधि) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय दुबे, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.